सार्वजनिक निविदा सूचना।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 100 वार्डो में स्थित विद्युत पोल जो जैसे है जहां है उसी स्थिति में पोल क्योस्क के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु अनुबन्ध की तिथि से कुल 2 वर्ष हेतु सार्वजनिक निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनांक 23.07.2024 की अपरान्ह 2.00 बजे तक पोल क्योस्क विज्ञापन की ई0निवदायें आमंत्रित की जाती है:—

पोल क्योस्क स्थल का विवरण	कुल पोल	निगम द्वारा आरक्षित धनराशि
निविदा प्रपत्र के अनुसार	35000	2,61,20,500/—

निविदा के साथ निविदा सूचना प्रपत्र में अंकित निविदा धनराशि की 10 **प्रतिशत धनराशि रू0—26,12,050/—की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 के रूप में एवं निर्धारित निविदा फार्म शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट जो नगर निगम देहरादून के नाम प्लेज होगी एवं निविदा फार्म में अंकित अन्य तकनीकी दस्तावेजों को दिनांक 22.07.2024 की सांय 4.00 बजे तक मूल में निगम कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। दिनांक 22.07.2024 तक दस्तावेज मूल में निगम कार्यालय में जमा न किये जाने पर निविदादाता को असफल माना जायेगा।** निविदादाता दिनांक 23.07.2024 को अपरान्ह 2.00 बजे तक ई0निविदा हेतु उत्तराखण्ड शासन की ई0टैन्डर वेबसाईट **www.uktender.gov.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। निविदा दिनांक 23.07.2024 सायः 4.00 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते नगर निगम देहरादून की वेबसाईट–www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांकः—2073/भूमि—2024—25 दिनांकः— 05/07/2024

प्रतिलिपिः—

1. विज्ञापन व्यवस्थापक ''दैनिक जागरण हिन्दी समाचार पत्र'' को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन उत्तराखण्ड, दिल्ली एन0सी0आर0 संस्करण के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं निर्धारित छूट के साथ बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
2. विज्ञापन व्यवस्थापक ''द पाईनियर'' अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन समस्त संस्करण के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफीसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त ई0 निविदा सूचना को उत्तराखण्ड शासन की ई0निविदा की वेबसाईट **www.uktender.gov.in** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम/कलैक्ट्रेट पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

निविदा फार्म का मूल्य–11800 जी0एस0टी0 सहित

वर्ष – 2024–2026

ई0 – निविदा दस्तावेज

कार्य का नाम – नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 100 वार्डो में शहर के मुख्य मार्गो के डिवाईडर पर 2000 पोल, 15000 पोल शहर के अन्य पार्श एरिया में, 18000 पोल मुख्य मार्गो के किनारे स्थित, इस प्रकार कुल 35000 विद्युत पोलों पर पोल क्योस्क के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी कार्य

नगर निगम देहरादून।

ई–मेल आई0डी0–nagarnigam.ddn@gmail.com

बेबसाइट - www.nagarnigamdehradun.com

अनुक्रमांक तालिका

क्र.सं.	विवरण	पेज सं0
1	ई–निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समय	3
2	कार्य का नाम	3
3	निविदा की शर्तें एवं प्राविधान	3–4
4	तकनीकी निविदा सम्बन्धी विवरण	5
5	वित्तीय निविदा सम्बन्धी विवरण	5
6	संलग्नक–1 बी0ओ0क्यू प्रपत्र	6
7	ई0 निविदा प्रेषित किये जाने से पूर्व अभिलेख जांच सूची	7

ई–निविदा दस्तावेज

1. **ई–निविदा से सम्बन्धित महपवपूर्ण तिथि एवं समय–**

- ई0 निविदा सूचना प्रकाशित करने की तिथि – 06.07.2024
- वेबसाईट पर निविदा अपलोड करने की तिथि– 06.07.2024
- निविदा प्रपत्र विक्रय/डाउनलोड अवधि–22.07.2024
- ई0निविदा डालने की अन्तिम तिथि–23.07.2024 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक।
- निविदा खोले जाने की तिथि/समय – 23.07.2024 सांय 4.00 बजे।

2. **कार्य का नामः**

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 100 वार्डो में शहर के मुख्य मार्गो के डिवाईडर पर 2000 पोल, 15000 पोल शहर के अन्य पॉश एरिया में, 18000 पोल मुख्य मार्गो के किनारे स्थित, इस प्रकार कुल 35000 विद्युत पोलों पर पोल क्योस्क के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी कार्य

3. **निविदा की शर्ते एवं प्राविधान–**

1. पोल क्योस्क विज्ञापन कार्य की अवधि अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रू0–2,61,20,500/– निर्धारित है।
3. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।
4. विज्ञापन फर्म को स्वीकृत निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत धनराशि के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।
5. यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
6. धरोहर/जमा धनराशि नगर आयुक्त, नगर निगम के नाम प्लेज करनी अनिवार्य होगी।
7. पोल क्योस्क सड़क से 10 फिट की ऊंचाई पर लगाये जायेंगे।
8. पोल क्योस्क पर 2.5 X 3.5 फिट साईज के ही विज्ञापन लगाये जायेंगे।
9. विद्युत पोलों पर केवल इल्यूमिनेटेड क्योस्क ही लगाये जायेंगे।
10. पोल क्योस्क इस प्रकार लगाया जाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।
11. पोल क्योस्क चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य पोल क्योस्क नही लगाये जायेंगे।
12. पोलक्योस्क सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वंय के व्यय पर लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई धनराशि देय नही होगी।
13. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रदर्शित नही किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है कि तो रू0 25000/– क्योस्क की दर से प्रति क्योस्क अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
14. विद्युत पोलों पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा पोलक्योस्क पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।

15. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई विज्ञापन हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घन्टें के अन्दर हटाना होगा।
16. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय–समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
17. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0–एस0पी0ए0 39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा।
18. कतिपय परिस्थितियों वश जब तक पुनः निविदा न हो जाये तब तक स्वीकृति को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।
19. निविदादाता द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित नही किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन नही लगाया जायेगा। यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहां यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी भी सगे सम्बन्धी, उसके ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता पर प्रति विज्ञापन रू0–25000/– का अर्थदण्ड लगाया जायेगा व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
20. पोल क्योस्क विज्ञापनों पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक से अन्तिम तक संख्या लिखा जाना भी अनिवार्य होगा।
21. उपरोक्त विद्युत पोलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ई0पी0एफ0, सेवाकर, बीमा तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था भी फर्म को स्वंय करनी होगी।
22. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिंग, बिजली के खम्बों पर लगे अवैध क्योस्क, पोस्टर, बैनर व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वंय का होगा। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0–39 वर्ष 2012 का अनुपालन भी करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिन्डीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नही करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
24. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।

4. तकनीकी निविदा सम्बन्धी विवरण–

1. फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय पिछले तीन असिसमेन्ट वर्ष (2021–22, 2022–23 तथा 2023–24) की आई0टी0आर0 सर्टिफिकेट, संलग्न करना अनिवार्य है।
3. फर्म/निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय पैनकार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदा में प्रतिभाग करते समय फर्म/निविदादाता का जी0एस0टी0 नं0 संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. फर्म / निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय औसतन रू0–50 लाख से अधिक के विज्ञापन सम्बन्धी कार्य का पिछले 05 वित्तीय वर्ष में अनुभव जो कि किसी भी सरकारी / गैर सरकारी / प्राधिकरण / निगमों से जारी किया गया हो को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. फर्म / निविदादाता पूर्व में जिस भी सरकारी / गैर सरकारी / निगमों / प्राधिकरणों में विज्ञापन सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है वहां से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय 50.00 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र जो कि जिला प्रशासन द्वारा जारी हो तथा 6 माह से पुराना न हो को संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय चरित्र प्रमाण पत्र जो कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो तथा 6 माह से पुराना न हो को संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व समस्त तकनीकी दस्तावेजों को स्कैन कर ई0निविदा पोर्टल पर अपलोड करते हुए निविदा में प्रतिभाग करने की अंतिम तिथि से पूर्व दिनांक 22.07.2024 की सांय 4.00 बजे तक 10 प्रतिशत धनराशि रू0–26,12,050 / – की धनराशि की सी0डी0आर0 / एफ0डी0आर0 के रूप मे तथा निविदा शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट मूल में तथा तकनीकी दस्तावेजों की मूल प्रति नगर निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
10. निविदादाता को कार्टेलाईजेशन नही किये जाने सम्बन्धी रू0–100 का शपथपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. नगर निकाय / स्थानीय निकाय / सरकारी विभाग अथवा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के डिफाल्टर व बकायेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नही होंगे। इस हेतु निविदादाता को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग में डिफाल्टर न होने का रू0–100 के स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड का शपथपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. यह कि उपलब्ध कराये गये समस्त तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 23.07.2024 की सांय 4.00 बजे गठित समिति के समक्ष किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादातों की वित्तीय निविदा खोलने की सूचना सम्बन्धित फर्मो को दूरभाष अथवा ई0मेल के माध्यम से दे दी जायेगी

5. वित्तीय निविदा सम्बन्धी विवरण–

1. निविदादाता अपनी निविदा दिनांक 23.07.2024 की अपरान्ह 2.00 बजे तक ई0निविदा वेबसाईट www.uktender.gov.in पर अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
2. वित्तीय निविदा सम्बन्धी प्रपत्र संलग्न–1 के अनुसार ई0 निविदा पोर्टल पर भरनी अनिवार्य होगी।

6. सफल निविदादाता हेतु निर्देश सम्बन्धी विवरण–

1. निविदादादाता की निविदा स्वीकृत होने पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत 03 दिन के अन्दर तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि 06 माह के अन्दर निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।
2. निविदादाता की विज्ञापन कार्य की दो वर्ष की अवधि सुचारू रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि 06 माह पश्चात वापस की जायेगी।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0 / एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

कर एवं राजस्व अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून।

संलग्नक –1

कार्य का नाम– **नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 100 वार्डो में शहर के मुख्य मार्गो के डिवाईडर पर 2000 पोल, 15000 पोल शहर के अन्य पार्श एरिया में, 18000 पोल मुख्य मार्गो के किनारे स्थित, इस प्रकार कुल 35000 विद्युत पोलों पर पोल क्योस्क के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी कार्य**

(वित्तीय बिड–BOQ प्रपत्र)

35000 विद्युत पोलों पर पोल क्योस्क विज्ञापन।

35000 विद्युत पोलों पर पोल क्योस्क हेतु नगर निगम द्वारा आरक्षित न्यूनतम् धनराशि	निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली धनराशि अंकों में एवं शब्दों में।
रू0–2,61,20,500/– (दो करोड़ इक्सठ लाख बीस हजार पांच सौ मात्र)	

निविदा दाता के हस्ताक्षर

नाम ....

फर्म का नाम ....

पता ....

....

मोबाईल/दूरभाष नं0 ....

संलग्नक – 2

ई0 – निविदा प्रेषित किये जाने से पूर्व अभिलेख जांच सूची (चैक लिस्ट) :

क्रम सं0	**अभिलेख का विवरण संलग्न किया**	विवरण / अभियुक्ति **(हॉ / नहीं)**
1	फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।	
2	निविदा में प्रतिभाग करते समय पिछले 3 वर्ष की Assessment Year (2021-22, 2022-23 & 2023-24) की आई0टी0आर0	
3	प्रोपराईटर / फर्म का पैनकार्ड	
4	फर्म / निविदादाता का जी0एस0टी0 नं0	
5	05 वर्ष में औसतन रू0 50.00 लाख के विज्ञापन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।	
6	अदेयता प्रमाण पत्र।	
7	50.00 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र जिला प्रशासन द्वारा जारी।	
8	चरित्र प्रमाण पत्र जिला प्रशासन द्वारा जारी	
9	रू0–2612050 / – की एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0	
10	निविदा शुल्क रू0–11,800 / – का डिमांड ड्राफ्ट	
11	कार्टेलाईजेशन सम्बन्धी शपथपत्र रू0–100 / – के स्टॉम्प पर।	
12	भारत सरकार एवं राज्य सरकार के किसी विभाग में डिफाल्टर न होने का रू0–100 के स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथपत्र।	